सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

[illegible]

[illegible] Fax- 222791

क्रमांक/ [illegible] /2018 अम्बिकापुर दिनांक [illegible]/03/2018

कार्यपरिषद् की बैठक सोमवार दिनांक 26.03.2018 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक सोमवार दिनांक 26.03.2018 को 2:00 बजे अपरान्ह विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :

1. प्रोफेसर रोहिणी प्रसाद कुलपति	–	अध्यक्ष
2. श्री टी.एस. सिंहदेव माननीय विधायक अम्बिकापुर एवम् नेता प्रतिपक्ष कोठीघर, अस्पताल रोड अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)	–	सदस्य
3. श्री अमरजीत भगत माननीय विधायक सीतापुर शिव शक्ति भवन, बौरीपारा, शिव मंदिर के पास, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)	–	सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) रशीदा परवेज (संकायाध्यक्ष, कला संकाय) प्राध्यापक एवम् विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)	–	सदस्य
5. डॉ. आर. एन. खरे (संकायाध्यक्ष, अभियांत्रिकी एवम् मैनेजमेन्ट संकाय) प्राचार्य विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, लखनपुर–अम्बिकापुर जिला – सरगुजा (छ.ग.)	–	सदस्य
6. डॉ. एस. के. श्रीवास्तव (संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय) प्राध्यापक भौतिकशास्त्र विभाग राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)	–	सदस्य
7. प्रो. मधुर मोहन रंगा (संकायाध्यक्ष, जीवन विज्ञान, विधि एवम् नेचुरल रिसोर्सेस संकाय) प्राध्यापक एवम् विभागाध्यक्ष पर्यावरण विज्ञान विभाग सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)	–	सदस्य

8. डॉ. [illegible] — सदस्य
प्राचार्य
शासकीय राजमोहनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बिकापुर (छ.ग.)

9. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट — सदस्य
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
नया रायपुर (छ.ग.)

10. श्री के. एस. मरावी — सदस्य
संभागीय संयुक्त संचालक
कोष लेखा एवम् पेंशन
अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

11. डॉ. गोपी कृष्ण दास — सदस्य
प्राध्यापक एवम् विभागाध्यक्ष
कृषि मौसम–विज्ञान विभाग,
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

12. डॉ. एस. एस. अग्रवाल — सदस्य
प्राचार्य
शासकीय रेवती रमण मिश्र महाविद्यालय,
सूरजपुर (छ.ग.)

13. विनोद कुमार एक्का — सचिव
कुलसचिव

सर्वप्रथम कुलपति ने सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों का स्वागत किया तदोपरांत कुलपति की अनुमति पश्चात कार्यसूची पर विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिए गए :

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 18.02.2018 के कार्यवाही विवरण की संपुष्टि करने पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 18.02.2018 के कार्यवाही विवरण की संपुष्टि की जाती है।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद बैठक दिनांक 18.02.2018 में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 18.02.2018 में लिये गए निर्णयो के संबंध मे प्राप्त पालन प्रतिवेदनों की सूचना ग्रहण की जाती है। जिन [illegible] द्वारा समय पर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता उन्हें भविष्य में [illegible] पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समझाइश दी जाए।

प्रभारी अकादमिक विभाग

Scanned by CamScanner

3. विश्वविद्यालय [illegible] 2018 [illegible] अनुमोदन [illegible]।

निर्णय : [illegible] किया जाता है।

कार्यवाही - वित्त विभाग

4. विश्वविद्यालय परीक्षा संबंधी कार्य से यात्रा करने वाले कर्मचारियों को जोखिम भत्ता (Risk Allowance) का निर्धारण किये जाने पर विचार।

निर्णय : विश्वविद्यालय परीक्षा संबंधी कार्य से यात्रा करने वाले कर्मचारियों को जोखिम भत्ता (Risk Allowance) का निर्धारण करने से पूर्व छत्तीसगढ़ के अन्य राजकीय विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त की जाए।

कार्यवाही - स्थापना विभाग

5. विश्वविद्यालय में निम्नांकित शोध छात्र द्वारा उसके नाम के समक्ष उल्लिखित संकाय एवं विषय में पी–एच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबंध पर परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुमोदन कर पी–एच. डी. उपाधि प्रदान करने पर विचार।

क्र.	शोधार्थी का नाम	संकाय	विषय	शोध शीर्षक	मौखिक परीक्षा का दिनांक
01.	श्रीमती केसेन्सिया टोप्पो	समाज विज्ञान	अर्थशास्त्र	महिला सशक्तीकरण से आय एवम् रोजगार के प्रभाव का अध्ययन" (छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के विशेष सन्दर्भ में)	10.03.2018

निर्णय : श्रीमती केसेन्सिया टोप्पो को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित संकाय, विषय एवम् शोध शीर्षक में पी–एच.डी उपाधि प्रदान करने हेतु प्रस्तुत शोध प्रबंध पर परीक्षकों के प्रतिवेदन की अनुशंसा का अनुमोदन किया जाता है तदनुसार इन्हें उपाधि प्रदान की जाय।

कार्यवाही - अकादमिक विभाग

6. राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के स्वशासी दर्जा की अवधि दिनांक 30.06.2017 को समाप्त होने के संदर्भ में विचार।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि दो माह की अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शासन से स्वायत्ता विस्तार की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय अन्यथा 2018–19 से नव प्रवेशित छात्रों के समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रम से अधिसूचित होंगे।

कार्यवाही - अकादमिक विभाग

7. परिनियम 27 की कंडिका 5 के तहत शासकीय नवीन महाविद्यालय, खड़गवां जिला–कोरिया (छ.ग.) में संचालित बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम., विषय में शैक्षणिक सत्र 2015–16 (कार्योत्तर) एवं 2016–17 के लिए सम्बद्धता में वृद्धि (नवीनीकरण) विषयक महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन दिनांक 20.02.2018 एवम् विद्या परिषद् की स्थायी समिति 13.03.2018 की अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : शासकीय नवीन महाविद्यालय, खड़गवां जिला–कोरिया (छ.ग.) में संचालित बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम., विषय में शैक्षणिक सत्र 2015–16 (कार्योत्तर) एवं 2016–17 के लिए सम्बद्धता में वृद्धि (नवीनीकरण) विषयक महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन दिनांक 20.02.2018 एवम् विद्या परिषद् की स्थायी समिति 13.03.2018 की अनुशंसा का अनुमोदन किया जाता है।

कार्यवाही - अकादमिक विभाग

Scanned by CamScanner

8. [illegible] [illegible] 2017-18 के लिए अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने विषयक महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन दिनांक 15.02.2018 एवम् विद्या परिषद् की स्थायी समिति 13.03.2018 की अनुशंसा पर पर विचार करना।

निर्णय : [illegible] विज्ञान महाविद्यालय, [illegible] (छ.ग.) में संचालित एम.एससी. (फाईनल) गणित विषय में शैक्षणिक सत्र [illegible] के लिए अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने विषयक महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन दिनांक 15.02.2018 एवम् विद्या परिषद् की स्थायी समिति 13.03.2018 की अनुशंसा का अनुमोदन किया जाता है।

कार्यवाही - अकादमिक विभाग

9. परिनियम 27 की कंडिका 5 के तहत शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.) में संचालित बी.कॉम. (प्रथम वर्ष) एवम् बी.एससी. कम्प्यूटर एप्लीकेशन (द्वितीय वर्ष) विषय में शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिए अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने विषयक महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन दिनांक 08.02.2018 एवम् विद्या परिषद की स्थायी समिति 13.03.2018 की अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.) में संचालित बी.कॉम. (प्रथम वर्ष) एवम् बी.एससी. कम्प्यूटर एप्लीकेशन (द्वितीय वर्ष) विषय में शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिए अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने विषयक महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन दिनांक 08.02.2018 एवम् विद्या परिषद् की स्थायी समिति 13.03.2018 की अनुशंसा का अनुमोदन किया जाता है।

कार्यवाही - अकादमिक विभाग

10. परिनियम 27 की कंडिका 5 के तहत शासकीय महली भगत महाविद्यालय, कुसमी जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) में संचालित बी.ए., बी.एससी., एम.ए. (हिन्दी) विषय में शैक्षणिक सत्र 2015–16 (कार्योत्तर) एवं 2016–17 के लिए सम्बद्धता में वृद्धि (नवीनीकरण) महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन दिनांक 22.02.2018 एवम् विद्या परिषद् की स्थायी समिति 13.03.2018 की अनुशंसा पर पर विचार करना।

निर्णय : शासकीय महली भगत महाविद्यालय, कुसमी जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) में संचालित बी.ए., बी.एससी., एम.ए. (हिन्दी) विषय में शैक्षणिक सत्र 2015–16 (कार्योत्तर) एवं 2016–17 के लिए सम्बद्धता में वृद्धि (नवीनीकरण) महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन दिनांक [illegible] एवं विद्या परिषद् की स्थायी समिति [illegible] की अनुशंसा का अनुमोदन किया जाता है।

कार्यवाही - अकादमिक विभाग

Scanned by CamScanner

11. परिनि[illegible] शोभा सिंह [illegible] महाविद्यालय, पत्थलगाँव जिला [illegible] 1996/[illegible] अधिसूचना क्रमांक [illegible] 2017-18 से [illegible] शैक्षणिक सत्र [illegible] भाग-2, भाग-3; बी.कॉम भाग-1, भाग-2, भाग-3; बीएस.सी. भाग-1, भाग-2, भाग-3; एम.ए. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध (समाजशास्त्र) एवम् एम.कॉम. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध परीक्षा/पाठ्यक्रम की स्थाई सम्बद्धता प्रदान करने विषयक महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन दिनांक 15.12.2017 एवम् विद्या परिषद की स्थायी समिति 13.03.2018 की अनुशंसा पर पर विचार करना।

निर्णय : ठाकुर शोभा सिंह शासकीय महाविद्यालय, पत्थलगाँव जिला--जशपुर (छ.ग.) का स्थाई सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 1996/अकादमिक/निरीक्षण/2017 अम्बिकापुर, दिनांक 14.09.2017 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18 से बी.ए. भाग-1, भाग-2, भाग-3; बी.कॉम भाग-1, भाग-2, भाग-3; बीएस.सी भाग-1, भाग-2, भाग-3; एम.ए. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध (समाजशास्त्र) एवम् एम. कॉम. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध परीक्षा/पाठ्यक्रम की स्थाई सम्बद्धता प्रदान करने विषयक महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन दिनांक 15.12.2017 एवम् विद्या परिषद की स्थायी समिति 13.03.2018 की अनुशंसा का अनुमोदन किया जाता है।

कार्यवाही - अकादमिक विभाग

12. विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए बडे पहिए का एक नवीन वाहन क्रय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय : विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए बडे पहिए का एक नवीन वाहन क्रय किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखकर अनुमति प्राप्त की जाय।

कार्यवाही - अकादमिक विभाग

13. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक *F.12-1/2015(CPP-II) 15 October 2015* द्वारा विद्यार्थी को परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक 2497/Academic/2016 Ambikapur, Dated 01-08-2016 में पुनर्विचार करना।

निर्णय : यह व्यवस्था राज्य के अन्य राजकीय विश्वविद्यालय मे है या नहीं इसकी जानकरी प्राप्त कर छात्रहित मे परीक्षोपरान्त उचित निर्णय लेकर कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही - अकादमिक विभाग

14. विश्वविद्यालय के विधिक सलाहकार के मानदेय की राशि निर्धारण करने पर विचार।

निर्णय : श्री नागेन्द्र तिवारी, अधिवक्ता, मिशन हॉस्पिटल के पास, अम्बिकापुर (छ.ग.) को विश्वविद्यालय का विधिक सलाहकार नियुक्त करने का अनुमोदन किया गया है तथा यह भी निर्णय लिया जाता है कि इन्हे प्रति प्रकरण परामर्श शुल्क की राशि प्रदान की जाय। शुल्क की जानकारी पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से प्राप्त की जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि विधिक सलाह हेतु अधिवक्ता शुल्क का निर्धारण निम्नानुसार किया जाय :

1. [illegible] जिला न्यायालय - ₹ 3000/-
2. माननीय उच्च न्यायालय - ₹ 5000/-
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय - ₹ 7000/-

कार्यवाही [illegible]/वित्त विभाग

Scanned by CamScanner

निर्णय : [illegible]

कार्यवाही - [illegible] विभाग

पूरक कार्यसूची

1. श्री साई बाबा आदर्श महाविद्यालय [illegible] का सत्र [illegible] शिक्षा परिषद, पश्चिम क्षेत्रीय समिति [illegible] भोपाल में विश्वविद्यालय परिनियम 28 के प्रावधानानुसार शैक्षणिक एवम् अशैक्षणिक पदों पर स्थाई नियुक्ति संबंधी सूची का [illegible] के अनुमोदन की प्रत्याशा में [illegible] के अनुमोदन संबंधी आदेश दिनांक 12.03.2018 की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : श्री साई बाबा आदर्श महाविद्यालय [illegible] अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.) में विश्वविद्यालय परिनियम 28 के प्रावधानानुसार शैक्षणिक एवम् अशैक्षणिक पदों पर स्थाई नियुक्ति हेतु चयन समिति [illegible] के अनुमोदन NCTE से मात्र सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए आवश्यक [illegible] किया जाता है।

कार्यवाही - अकादमिक विभाग

2. प्रिया टूर एण्ड ट्रैवल्स जोड़ा पीपल अम्बिकापुर [illegible] CG 15 B 9671 (जायलो) के किराए की राशि ₹ 5,75,208 (पाँच लाख पचहत्तर हजार दो सौ आठ रूपए) का भुगतान करने पर विचार।

निर्णय : प्रिया टूर एण्ड ट्रैवल्स जोड़ा पीपल, अम्बिकापुर के वाहन क्रमांक CG 15 B 9671 (जायलो) के किराये की राशि ₹ [illegible] (पाँच लाख पचहत्तर हजार दो सौ आठ रूपए) का भुगतान स्वीकृत किया जाता है। यह व्यय विश्वविद्यालय बजट 2017-18 के व्यय लेखा शीर्ष [illegible] Expenditure मद में प्रावधानित शेष राशि रूपए 58 लाख [illegible] से विकलनीय होगा।

कार्यवाही - [illegible] वित्त विभाग

3. [illegible] वर्ष 2017 [illegible] प्रायोगिक परीक्षा [illegible] बी.एड. प्रथम वर्ष की [illegible] द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान [illegible] यह व्यवस्था [illegible] पर विचार करना।

निर्णय : [illegible] द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने की [illegible] आगामी सत्र [illegible]

कार्यवाही - [illegible] विभाग

Scanned by CamScanner

4. सरगुजा विश्वविद्यालय [illegible] शासन [illegible] आज दिनांक तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना न किए जाने के [illegible] की आवश्यकता एवम् अनिवार्यता को दृष्टिगत [illegible] किसी व्यक्ति की नियुक्ति [illegible] पर विचार।

निर्णय : [illegible] आदेश प्राप्त नहीं होता

तब तक के लिए [illegible] की नियुक्ति की जाए। इस हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

कार्यवाही - प्रशासन विभाग

5. श्री कौशिक अधिकारी, सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी, विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, अम्बिकापुर में की गई है तथा उन्होंने कार्यभार ग्रहण तो किया परन्तु मई 2015 से बिना किसी सूचना के आज दिनांक तक अनुपस्थित है अतः श्री अधिकारी की सेवा समाप्त किये जाने पर विचार।

निर्णय : प्रकरण का एक बार पुनः परीक्षण कर एक सप्ताह के अन्दर शासन के नियम को देखकर परिधि में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही - स्थापना विभाग

6. माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 03.09.2016 को सरगुजा जिले के प्रवास के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर का नाम संत रामेश्वर गहिरा गुरु सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर किये जाने की घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा के क्रियान्वयन पर विचार।

निर्णय : (1) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर विचार करते हुए सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम *संत रामेश्वर गहिरा गुरु सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर* किया जाय।

(2) विश्वविद्यालय परिसर में संत रामेश्वर गहिरा गुरु जी की प्रतिमा स्थापित की जाय। इनकी प्रतिमा निर्माण हेतु रूपए सात लाख एवम् माह अप्रैल 2018 में प्रशासकीय भवन के भूमि पूजन समारोह पर होने वाले व्ययभार हेतु रूपए पन्द्रह लाख की प्रशासकीय एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्यवाही - प्रशासन / सम्पदा / वित्त विभाग

7. फार्म फारेस्ट्री विभाग में अध्ययनरत छात्रों के अध्ययन एवम् विविध अनुप्रयोग के निमितार्थ अध्ययन परिभ्रमण (चंदगीराम जैव विविधता केन्द्र, सरगंवा) हेतु परियोजना प्रस्ताव पर MOU करने पर विचार।

निर्णय : फार्म फारेस्ट्री विभाग में अध्ययनरत छात्रों के अध्ययन एवम् विविध अनुप्रयोग के निमितार्थ अध्ययन परिभ्रमण (चंदगीराम जैव विविधता केन्द्र, सरगंवा) हेतु परियोजना प्रस्ताव पर MOU करने हेतु अगामी प्रकरण विद्या परिषद् में प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही - अकादमिक विभाग

Scanned by CamScanner

8 विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं अन्य प्रशासनिक [illegible] नवीन वाहन जिसमें बोले BOLERO PLUS 2WD AC PS (Mahindra) (PLUS BSIV ACPS 2WD) (9 Seater) एवम् BOLERO (Mahindra) (SLE 2WD) GEM से क्रयोपरान्त भुगतान की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार।

टीप : (अ) विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक दिनांक 14.12.2017 में निर्णय क्रमांक 08 द्वारा परीक्षा एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए दो नवीन वाहन जिसमें से एक बोलेरो एवं एक बन्द गाड़ी क्रय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ब) विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक दिनांक 14.12.2017 में निर्णय क्रमांक 08 के निर्णय के संदर्भ में दो नवीन वाहन BOLERO PLUS 2WD AC PS (Mahindra) (PLUS BSIV ACPS 2WD) Rs. 7,24,456 एवम् BOLERO (Mahindra) (SLE 2WD) Rs. 7,11,596 कुल देयक राशि ₹ 14,36,052/– (चौदह लाख छत्तीस हजार बावन रूपए) भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।

(स) विश्वविद्यालय बजट सत्र 2017–18 में व्यय लेखा शीर्ष C-9 Purchase of New Vehicle मद में प्रावधानित राशि ₹ 15,00,000/– (पन्द्रह लाख रूपए) में से विकलनीय होगा।

निर्णय : विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए नवीन वाहन जिसमें बोलेरो BOLERO PLUS 2WD AC PS (Mahindra) (PLUS BSIV ACPS 2WD) (9 Seater) एवम् BOLERO (Mahindra) (SLE 2WD) GEM से क्रयोपरान्त भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्यवाही - वाहन प्रकोष्ठ/वित्त विभाग

9 विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के लिए एक BOLERO PLUS 2WD AC PS (Mahindra) (PLUS BSIV ACPS 2WD) (9 Seater) क्रयोपरान्त देयक भुगतान की राशि ₹ 7,24,456/– (सात लाख चौबीस हजार चार सौ छप्पन रूपए) की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार।

टीप : (अ) विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक दिनांक 14.12.2017 में निर्णय क्रमांक 07 द्वारा विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के लिए एक BOLERO PLUS 2WD AC PS (Mahindra) (PLUS BSIV ACPS 2WD) (9 Seater) देयक ₹ 7,24,456/- (सात लाख चौबीस हजार चार सौ छप्पन रूपए) भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।

(ब) विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कालेज के बजट सत्र 2017–18 में व्यय लेखा शीर्ष B-11 Purchase of Vehicle मद में प्रावधानित ₹ 35,00,000/- (पैंतीस लाख रूपए) में से विकलनीय होगा।

निर्णय : विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के लिए एक BOLERO PLUS 2WD AC PS (Mahindra) (PLUS BSIV ACPS 2WD) (9 Seater) क्रयोपरान्त देयक भुगतान की राशि ₹ 7,24,456/– (सात लाख चौबीस हजार चार सौ छप्पन रूपए) की [illegible] प्रदान की जाती है।

कार्यवाही - वाहन प्रकोष्ठ/वित्त विभाग

Scanned by CamScanner

[illegible]

निर्णय : ट्रिप टूर एण्ड ट्रैवल्स, जोड़ा पीपल, अम्बिकापुर के किराये का वाहन क्रमांक CG-15 B 0671 (बोलेरो) के किराये की राशि ₹ 10,94,952/- (दस लाख चौरान्बे हजार नौ सौ बावन रुपये) का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है यह व्यय लेखा शीर्ष में प्रावधानित राशि ₹ 14,00,000/- (चौदह लाख रुपए) में से विकलनीय होगा।

कार्यवाही - वाहन प्रकोष्ठ/वित्त विभाग

11. विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, लखनपुर अम्बिकापुर में नवीन विषय बी.ई. माइनिंग इंजीनियरिंग खोलने हेतु AICTE को प्रस्ताव प्रेषित करने पर विचार।

निर्णय : विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, लखनपुर-अम्बिकापुर में नवीन विषय बी.ई. माइनिंग इंजीनियरिंग खोलने हेतु AICTE को प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।

कार्यवाही - विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कालेज/ स्थापना विभाग

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण -

1. विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों एवम् विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में नियुक्त प्राध्यापक, प्राचार्य, सह प्राध्यापक एवम् सहायक प्राध्यापकों जिनकी 02 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो गई है और गोपनीय चरित्रावली संतोषप्रद है उनकी नियमानुसार परिवीक्षा अवधि समाप्त करने पर विचार।

निर्णय : विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों एवम् विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में नियुक्त प्राध्यापक, प्राचार्य, सह प्राध्यापक एवम् सहायक प्राध्यापकों की जिनकी सेवा अवधि 02 वर्ष पूर्ण हो गई है और उनकी गोपनीय चरित्रावली संतोषजनक है उनकी परिवीक्षा अवधि नियमानुसार पुनः परीक्षणोपरान्त समाप्त की जाय।

कार्यवाही - स्थापना विभाग

2. विश्वविद्यालय के वर्तमान प्रशासनिक भवन परिसर में निर्माणाधीन दो मंजिला भवन के प्रथम चल देयक ₹ 12,69,186/- (बारह लाख उनहत्तर हजार एक सौ छियासी रूपए) के भुगतान के संबंध में।

टीप : उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार चौबे कन्स्ट्रक्शन, अम्बिकापुर को आर.ई.एस. एस. ओ. आर. से 13 प्रतिशत कम दर पर कुल 16.13 लाख का कार्यादेश जारी किया गया है इस कार्य का समय-समय पर पर्यवेक्षण श्री एस. के. मिश्रा, उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अम्बिकापुर द्वारा किया जाता रहा है इस कार्य में ठेकेदार द्वारा अब तक किये गए कार्य का मूल्यांकन श्री मिश्रा, उप अभियंता द्वारा किया गया है एवम् माप पुस्तिका क्रमांक 01 से पृष्ट क्रमांक 40 तक दर्ज किया गया है जिसमें कार्य की लागत निविदा दर घटाने के बाद ₹ 12,69,186/- (बारह लाख उनहत्तर हजार एक सौ छियासी रूपए) आयी है अतः देयक अनुमोदनार्थ एवम भुगतान हेतु प्रशासकीय एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना प्रस्तावित है।

निर्णय : विश्वविद्यालय के वर्तमान प्रशासनिक भवन परिसर में निर्माणाधीन दो मंजिला भवन के प्रथम चल देयक ₹ 12,69,186/- (बारह लाख उनहत्तर हजार एक सौ छियासी रूपए) का भुगतान चौबे कन्स्ट्रक्शन, अम्बिकापुर को किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्यवाही - सम्पदा/वित्त विभाग

(छ.ग.) द्वारा अभियंता के पद पर नियुक्त [illegible] दिनांक 20.03.2018 पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय में जब तक शासन द्वारा [illegible] की प्रतिनियुक्ति नहीं कर दी जाती तब तक अभियंता के पद पर नियुक्ति करने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया जाता है।

कार्यवाही - स्थापना विभाग

4. TEQIP-III में अप्रैल 2018 से जून 2018 तक कुल राशि ₹ 3,43,80,000/- (तीन करोड़ तिरालिस लाख अस्सी हजार) की प्रशासकीय एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

निर्णय : TEQIP-III में अप्रैल 2018 से जून 2018 तक कुल राशि ₹ 3,43,80,000/- (तीन करोड़ तिरालिस लाख अस्सी हजार) के नियमानुसार व्यय हेतु प्रशासकीय एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है उक्त राशि का विभिन्न मदों में व्यय की विभिन्न अवस्थाएं (Stages) प्रस्तुत करे।

कार्यवाही - विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कालेज/ वित्त विभाग

5. विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय लखनपुर–अम्बिकापुर हेतु से 20 ए.सी. GEM के माध्यम से क्रय किये जाने की प्रशासकीय एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

टीप : विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में स्वीकृत चार पाठ्यक्रमों के अलावा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा TEQIP-III योजना संचालित है अतः विभिन्न विभागों के कम्प्यूटर सेन्टर एवम् आवश्यक कक्षों मे उपयोग हेतु 20 नग एसी क्रय किया जाना आवश्यक है। बाजार दर से 1.5 Ton/3 Star rating AC/GEM के माध्यम से प्रति नग की कीमत 47,670/– (सैंतालिस हजार छः सौ सत्तर रूपए) है।

निर्णय : विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय लखनपुर–अम्बिकापुर हेतु TEQIP-III मद से 20 ए.सी. GEM के माध्यम से क्रय किये जाने की प्रशासकीय एवम् ₹ 9,53,400/– (नौ लाख तिरेपन हजार चार सौ रूपए) क्रय करने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्यवाही - विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कालेज/ वित्त विभाग

Scanned by CamScanner

6. [illegible] अम्बिकापुर [illegible] रिसर्च एण्ड मैनेजमेन्ट शिक्षा महाविद्यालय, मदनपुर, सिलफिली [illegible] के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच हेतु विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 3926/अकादमिक/जाँच समिति/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 05/03/2018 [illegible] जाँच समिति के प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय : 1. जाँच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार [illegible] शिक्षा महाविद्यालय, अम्बिकापुर में प्रवेशित बी.एड. भाग – 1 एवम् भाग – 2 के प्रशिक्षार्थियों द्वारा की गई शिकायतों में प्राचार्य को उत्तरदायी माना [illegible] है अतः प्रबंधन से इस संबंध में प्राचार्य के [illegible] में स्पष्टीकरण प्राप्त [illegible] किया जाय एवम् प्रकरण कार्यपरिषद् आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

2. पार्वती इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग रिसर्च एण्ड मैनेजमेन्ट शिक्षा महाविद्यालय, मदनपुर, सिलफिली जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में प्रवेशित बी.एड. भाग – 1 एवम् भाग – 2 के प्रशिक्षार्थियों द्वारा की गई शिकायतों में जाँच समिति ने प्रबंधन को दोषी माना है अतः प्रबंधन को पत्र भेजकर स्पष्टता प्राप्त की जाय एवम् प्रकरण कार्यपरिषद आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही – अकादमिक विभाग

अन्त में कुलसचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करने के पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्त की गई।

(विनोद कुमार एक्का)
कुलसचिव

(प्रो. रोहिणी प्रसाद)
कुलपति

Scanned by CamScanner